



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

6 फाल्गुन 1947 (श10)
(सं0 पटना 226) पटना, बुधवार, 25 फरवरी 2026

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना
25 फरवरी 2026

सं० 6/एन0-11-08/2021-213(6B)—भारत-संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल, स्वास्थ्य विभाग के अधीन बिहार परिचारिका संवर्ग नियमावली, 2024 में निम्नलिखित संशोधन करने के लिए “बिहार परिचारिका संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2026” बनाते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।—

- यह नियमावली “बिहार परिचारिका संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2026” कही जा सकेगी।
- इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- यह संशोधन नियमावली दिनांक-24.04.2025 के प्रभाव से प्रवृत्त समझी जाएगी।
- यह नियमावली राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी।

2. बिहार परिचारिका संवर्ग नियमावली, 2024 का प्रतिस्थापन। — उक्त नियमावली के नियम-2 के उपनियम (viii), को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है:-

“2(viii) मान्यता प्राप्त संस्थान” से अभिप्रेत है संघ अथवा किसी भी राज्य सरकार अथवा इससे अधिकृत निकाय से मान्यता प्राप्त संस्थान।

3. बिहार परिचारिका संवर्ग नियमावली, 2024 का प्रतिस्थापन। — उक्त नियमावली के नियम-6 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है:-

अर्हताएँ। — मूल कोटि के पद पर सीधी भर्ती से नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हता मान्यता प्राप्त संस्थान से भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर अवधारित अवधि का जी0एन0एम0 कोर्स में उत्तीर्णता के साथ तत्संबंधी प्रमाण पत्र रहना आवश्यक होगा। बी0एस0सी0

(नर्सिंग) योग्यताधारी भी आवेदन के पात्र होंगे। आवेदन करते समय अभ्यर्थी को किसी भी संघ अथवा राज्य नर्सिंग काउन्सिल में निबंधित रहना अनिवार्य होगा, परन्तु अंतिम रूप से चयन होने के उपरान्त नियुक्ति/योगदान से पूर्व बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना से निबंधित होना आवश्यक होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
लोकेश कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

The 25th February 2026

No. 6-N-11-08/2021-213(6B)--In exercise of powers conferred under proviso to Article-309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is hereby making the following amendments in the Bihar Nursing Cadre Rules, 2024 under the Health Department namely "Bihar Nursing Cadre (Amendment) Rules, 2026".

1. Short title, extent and commencement.-

- (i) These Rules may be called the "Bihar Nursing Cadre (Amendment) Rules, 2026".
- (ii) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
- (iii) These amendment rules shall be deemed to have come into force with effect from 24.04.2025.
- (iv) These rules shall be published in the Official Gazette.

2. Rule 2(viii) of the Bihar Nursing Cadre Rules, 2024 is substituted by the following:-

"Recognized Institution" means an institution recognized by the Union or any State Government or any body authorized by it.

3. Rule 6 of the Bihar Nursing Cadre Rules, 2024 is substituted by the following:-

Qualifications, for appointment to the post of basic category through direct recruitment, minimum educational qualification and eligibility will be required along with passing the GNM course of the duration determined from time by the Indian Nursing Council, New Delhi from a recognized institute along with the relevant certificate. Those having B.Sc (Nursing) qualification will also be eligible to apply. While applying, it will be mandatory for the candidate to be registered with any Union or State Nursing Council, but after final selection, it will be necessary to get registered with Bihar Nursing Registration Council, Patna before appointment/joining.

By order of the Governor of Bihar,
Lokesh Kumar Singh,
Secretary to the Government of Bihar.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 226-571+10-डी0टी0पी01
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>